

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6) / क.ले. प्रशि. / 2017 / अलेसे-गा / 1175।८

दिनांक : ०५-१२-२०१७

आदेश संख्या २५८/२०१७-१८

श्री विनोद कुमार (मेरिट सं. 1998/2013) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय महानिरिक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर में दिनांक 04.12.2017 से 25.01.2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 04.12.2017 को प्रातः 9.30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है।

उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी तथा प्रशिक्षण अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी। उक्त प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें क्योंकि कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि उक्त कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उक्त कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

(प्रदीप माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-गा)

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6) / क.ले. प्रशि. / 2017 / अलेसे-गा / 1175।८

दिनांक : ०५-१२-२०१७

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ.6(1)(5)टीएन्डपी:-१/रीपा/2016-17/12964-67 दिनांक 30.10..2017 के क्रम में।
3. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उसके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. महानिरिक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 275 दिनांक 01.12.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
5. श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय महानिरिक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवावें।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-गा)